कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
jdajodhpur.rajasthan.gov.in वेब साईट http://email:-jdajodhpur@rajasthan.gov.in phone no- 0291.2612086,0291.2656355 फै 0291.261537

क्रमांकः–अधि.अभि. / जोन विद्युत / 17–18 / 1423 दिनांकः– 17/11/17

:: अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या : जोन विद्युत / 10 / 2017–18 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी मे पंजीकृत संवेदको जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र मे ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से विद्युत कार्यो हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर प्राधिकरण में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एंव अन्य विभाग में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 2 प्रतिशत राशि का बैंक ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से ऑन लाईन निविदा खोलने से पूर्व निम्न विवरण अनुसार प्राधिकरण मे जमा करानी आव यक है।

–महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण–

विवरण	निविदा की क्र. सं.	दिनांक व समय
ऑन लाईन निविदा फार्म की उपलब्धतता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	1	21.11.2017 सुबह 9.30 बजे से
ऑन लाईन निविदा फार्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	1	28.11.2017 सायं 6.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	1	21.11.2017 सुबह 9.30 बजे से
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	1	28.11.2017 सायं 6.00 बजे तक
निविदा शुल्क, धरोहर राशि की मूल प्रति जोन कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	1	29.11.2017 मध्यान्ह 1:30 बजे तक
ऑन लाईन निविदा को खोलने की दिनांक व समय	1	29.11.2017 सायं 4.00 बजे

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	जोन कार्यालय
1.	बरकतुल्लाह खां स्टेडियममें लगी फल्ड लाईट एवं जनरेटर सेट के रख रखाव एवं संचालन संबंधित कार्य।(वार्षिक अनुबंध)	10.00	20,000/-	500/-	2 वर्ष	विद्युत

निविदा की महत्वपर्ण शर्ते निम्नानुसार है:–

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट http:/www. eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी।
2. निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
3. निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणीः–(विद्युत कार्यो हेतु)

किसी भी सीमा तकः	EWSD I संवेदक
रूपये 25.00 लाख तकः	EWSD II संवेदक
रूपये 10.00 लाख तकः	EWSD III संवेदक
रूपये 5.00 लाख तकः	EWSD IV संवेदक

4. निविदा खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नही खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
5. निविदा प्रक्रियाः–

कार्य	पोटेंशियल असेसमेंट	पोस्ट क्वालीफिकेशन
अन्य निर्माण कार्य	100 लाख से 200 लाख तक	200 लाख से 1000 लाख तक

6. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
7. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि प्राधिकरण के जोन कार्यालय में निम्न विवरण अनुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व, जरिये डिमांड,ड्रफ्ट / बैंकर चैक से ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क वितरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	डिमाण्ड ड्रफ्ट / बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	धरोहर राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	डिमाण्ड ड्रफ्ट / बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500/– 50 लाख से उपर 1000/–	डिमाण्ड ड्रफ्ट / बैंकर चैक	M.D, RISL, JAIPUR

8. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेत मान्य (Valid) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उक्त उवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति / पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो,तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
10. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेंगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ से सेवायें लेने से पहले अनुमति नही ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
11. कार्य की दोष निवारण अवधि कार्य संतोशजनकरूप से पुर्ण कर विभाग को हस्तातरित करने की दिनांक से 6 माह होगी।
12. कार्य प्रारम्भ से पूर्व सभी फ्लड लाईट एवं सिस्टम चालू करना होगा तथा कार्य समाप्ति पश्चात चालू हालत में विभाग को सुपुर्द करना होगा।
13. उक्त कार्य प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना होगा तथा संवेदक द्वारा फ्लड लाईट के रख रखाव एवं डी.जी. सेट का जानकार प्रशिक्षित कर्मचारी प्रत्येक कन्ट्रोल कक्ष में लगाना होगा।

14. कार्य के दोरान किसी प्रकार की दुर्घटना एवं हानि हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

15. मैच के दोरान डी.जी. सेट में प्राधिकरण द्वारा अधिकृत पेट्रोल पम्प से डिजल लाना तथा फ्लड संचालन हेतु लगे डी.जी. सेट में भरने का कार्य भी संवेदक का होगा इस कार्य हेतु आने वाले संसाधन की व्यवस्था संबंधित संवेदक को अपने स्तर पर ही करना होगा।

16. मैच के दोरान अगर रोशनी आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। प्राधिकरण को इस संबंध में किसी तरह का वितीय एवं कानुनी उतरदायी अन्य किसी पक्ष के प्रति ठहराया जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

17. प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक 3918 दिनांक 14.09.2017 (jodhpurjda.org पर उपलब्ध) के अनुसार उक्त निविदाओं में न्यूनतम दर के निविदादाता द्वारा से अंतर राशि के समकक्ष , परफोरमेन्स सिक्यूरिटी राशि जमा कराने के पश्चात ही स्वीकृत निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।

18. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एंव बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।

19. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी/जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रू की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।

20. नेगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ई–मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

21. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित हैः–

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रूपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 1000
150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 2000
400 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रूपये 5000

22. संदवेक द्वारा इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर का लाईसेंस एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण में रजीस्ट्रेशन की कोपी स्केन कर लगानी होगी।

23. संवेदक को आन लाईन निविदा के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियो से जारी विक्रय कर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. (G.S.T.) रजिस्ट्रेशन की प्रति लगाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

24. ई–टेंडरिंग के लिए निविदा दाता हेतु निर्देशः–

- इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेटसाईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से देख/ डाउनलोड कर सकते है।
- निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http:/www.eproc.rajasthan .gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटन सार्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन विविदा दाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नही है।
- निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नही होगा।
- इलेक्ट्रानिक निविदा प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
- कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रानिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होग।
- टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

25. निविदायें राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमन्त्रित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान/बंधन उस सीमा तक ही लागु होगे जिस सीमा तक दे उस बिन्दु में उल्लेखित अधिनियम एवं नियमो के विरूद्ध नहीं हों।

26. निविदा के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट A से D बिन्दु के भाग है जिनकी पूर्ति अनिवार्य है।

अधिशाषी अभियंता (विद्युत)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक : एफ38/निविदा/2017–18/ दिनांक :

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव,अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिव,आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता, जोधपुर विकास प्राधिकरण/सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.लि./जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
9. अधिशाषी अभियंता जोन– पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/उत्तर/आर.ओ.बी./पी.एच.ई., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. केशियर/नोटिस बोर्ड।
11. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा का http://www.eproc.rajasthan.gov.in,www.jodhpur jda.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (up Load) करें।
13. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/जोधपुर ठेकेदार संघ्ज/ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्टर ऐसोसियेशन/ ठेकेदार संघ सिवील जे.डी.ए. /पी.डब्ल्यूडी ठेकेदार संघ/...................................।

अधिशाषी अभियंता (विद्युत)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर